

EXTRAORDINARY

भाग [[ंखण्ड 3-उप-खण्ड (i) PART II -- Section 3 -- Sub-section (i) प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

607]

नई दिल्ली, मंगलवार, अक्तूबर 20, 2009/आश्विन 28, 1931

No. 607] NEW DELHI, TUESDAY, OCTOBER 20, 2009/ASVINA 28, 1931

> पोत परिवहन मंत्रालय (पत्तन खण्ड) अधिसूचना

नई दिल्ली, 20 अक्तूबर, 2009

सा.का.नि. 766(अ).—महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 (1963 का 38) की धारा 132 की उप-धारा (1) के साथ पठित धारा 124 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कंडला पोर्ट ट्रस्ट के न्यासी मंडल द्वारा बनाए गए कंडला पोर्ट कर्मचारी (सेवानिवृत्ति) संशोधन विनियम, 2009 और इस अधिसूचना के साथ संलग्न यथाउल्लिखित अनुसूची को केन्द्र सरकार एतद्द्वारा अनुमोदन देती है।

उक्त संशोधन विनियमों को दिनांक 30 सितम्बर, 2007 से प्रभावी माना जाएगा ।

[फा. सं. पीआर-12016/4/2008-पीई-1] राकेश श्रीवास्तव, संयुक्त सचिव

अनुसूची कंडला पोर्ट ट्रस्ट

कंडला पोर्ट कर्मचारी (सेवानिवृत्ति) तृतीय संशोधन विनियम, 2009

महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 (1963 का 38) की धारा 28 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कंडला पोर्ट का न्यासी मंडल एतदुद्वारा कंडला पोर्ट कर्मचारी (सेवानिवृत्ति) विनियम 1978 को और आगे संशोधित करने हेतु निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थात्:---

- 1. ये विनियम कंडला पोर्ट कर्मचारी (सेवानिवृत्ति) संशोधन विनियम, 2009 कहे जाएंगे।
- 2. कंडला पोर्ट कर्मचारी (सेवानिवृत्ति) विनियम, 1978 के विनियम 4 के संबंध में निम्नलिखित विनियम प्रतिस्थापित किया जाए अर्थात्:----
- 4. सेवानिवृत्ति की तारीख .— इन विनियमों में जब तक अन्यथा उपबंधित न हो तब तक बोर्ड का प्रत्येक कर्मचारी उस महीने के अंतिम दिवस के अपराहन से सेवानिवृत्त होंगे, जिस महीने उनकी आयु 60 वर्ष की हो जाए :

परंतु कि ऐसा कर्मचारी जिसकी जन्म की तारीख महीने की पहली तारीख हो वह पूर्ववर्ती महीने की अंतिम तारीख को अपराहन में सेवानिवृत्त होगा जिस महीने वह 60 वर्ष की आयु पूरी कर लेता है।

पाद टिप्पणी : मुख्य विनियम, अधिसूचना संख्या पी डब्लयू/पी ई के/51/78 दिनांक 2−1−1981 द्वारा अनुमोदित किया गया था और उसे दिनांक 5-2-1981 को गुजरात सरकार के राजपत्र में प्रकाशित किया गया था तथा निम्नलिखित द्वारा अनुवर्ती संशोधन किए गए :

- 1. सं. सा.का.नि. 285 (अ) दिनांक 29-5-1998
- 2. सं. सा.का.नि. 912 (अ) दिनांक 11-12-2000

MINISTRY OF SHIPPING

(PORTS WING) NOTIFICATION

New Delhi, the 20th October, 2009

G.S.R. 766(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 124, read with sub-section (1) of Section 132 of the Major Port Trusts Act, 1963 (38 of 1963), the Central Government hereby approves the Kandla Port Employees (Retirement) Amendment Regulations, 2009 made by the Board of Trustees for the Port of Kandla and set out in the Schedule annexed to this Notification.

2. The said Amendment Regulations shall be deemed to have come into force on the 30th September, 2007.

[F. No. PR-12016/4/2008-PE. 1] RAKESH SRIVASTAVA, Jt. Secy.

SCHEDULE

KANDLA PORT EMPLOYEES (RETTREMENT) THIRD AMENDMENT REGULATIONS, 2009

In exercise of the powers conferred by Section 28 of the Major Port Trusts Act, 1963 (38 of 1963), the Board of Trustees of the Kandla Port Trust hereby makes the following regulations further to amend the Kandla Port Employees (Retirement) Regulations, 1978, namely:—

- 1. These Regulations may be called the Kandla Port Employees (Retirement) Amendment Regulations, 2009.
- 2. In the Kandla Port Employees (Retirement) Regulations, 1978 for for Regulation 4, the following regulation shall be substituted namely:—
 - 4. Age of Retirement Except as otherwise provided in these regulations, every employee of the Board shall retire from service on the afternoon of the last day of the month in which he attains the age of sixty years:

 Provided that an employee of the Board whose date of birth is the first of a month, shall retire from the service of the Board on the afternoon of the last day of the preceding month in which he attains the age of sixty years.

Foot Note: The principal regulation was approved *vide* Notification No. PW-PEK-51/78 dated 2-1-1981 published in the Gazette of Government of Gujarat dated 5-2-81 and subsequently amended *vide*:

- (1) No. G.S.R. 285 (E) dated 29-5-1998.
- (2) No. G.S.R. 912 (E) dated 11-12-2000.